R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part II nd
Paper- vi th
Environmental Law

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986 में केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्तियाँ :-

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986 में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई है;-

1. केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार हेतु उपाय करने की शक्ति (धारा-3)
2. अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति (धारा-4)
3. निर्देश देने की शक्ति (धारा-5)
4. पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति (धारा-6)

1. केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण एवं उसमें सुधार हेतु उपाय करने की शक्ति में धारा 3 के 3 उपखण्डों में निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई है;-

(i) पर्यावरण की गुणवत्ता, संरक्षण, प्रदूषण निवारण आदि के लिए आवश्यक उपाय करने की शक्ति:- धारा 3 (1) के अंतर्गत उपबन्धित किया गया है कि पर्यावरण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार जो आवश्यक समझे वे सारे उपाय निम्नलिखित के सम्बन्ध में कर सकती है—

Scanned with CamScanner

(3) पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना;
(4) पर्यावरण का संरक्षण करना;
(5) पर्यावरणीय प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन करना।
(ii) विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में उपाय करने की शक्ति — धारा 3(2) में विस्तृत विषयों का वर्णन किया गया है जिनमें से किन्हीं अथवा सभी विषयों के सम्बन्ध में उपाय केन्द्र सरकार द्वारा किये जा सकेंगे।

धारा-3 (1) में जिन उपायों का जिक्र किया गया है वे विधिवत ज्यादा विस्तारपूर्वक धारा-3 (2) बनाये गये है। ये इस शर्त के साथ उपबन्धित है कि धारा-3 (1) में वर्णित शक्तियों की सामान्यता को प्रभावित नहीं करेंगे। धारा-3(2) में 14 उपखण्ड है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करते है। इन्हे चार सुविधाजनक शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है;

(क) समन्वय एवं योजना [धारा 3(2)(i) और (ii)]
(ख) निवारक एवं विनियामक उपाय [धारा 3(2) iii से viii]
(ग) अन्वेषण, निरीक्षण, विश्लेषण, सूचना और सांख्यिकी द्वारा आनुषंगिक उपाय [धारा 3(2) ix से (xiii)]
(घ) आवश्यक उपाय [धारा 3 (2) (xiv)]

अधिकार एवं कर्तव्य निरूपण — धारा 3 के अन्तर्गत वर्णित केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के

के अधिकार का प्रतिरक्षण नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य भी उत्पन्न होता है जिसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने के अधिकार के अभ्यूदय के साथ केन्द्रीय सरकार के दायित्व बढ़ गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण का सह कर्तव्य:-

रिसर्च फाउंडेशन फॉर साईंस बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षणार्थ त्वरित कार्यवाही का कर्तव्य केवल केन्द्र सरकार का ही नहीं है। बल्कि राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड का भी है। न्यायालय ने देखा है 2000 टन परिसंकट मय अपशिष्ट के उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों से बचने के लिए उचित कार्यवाही हेतु अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किया।

iii) प्राधिकरण गठित करने की शक्ति [धारा 3(3)]

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रयोजनों की प्राप्ति करने हेतु किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है

Scanned with CamScanner

2. अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति (धारा-4) :-

धारा-4 में केन्द्रीय सरकार को अधिकारियों को नियुक्त करने तथा उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करने की शक्ति दी गई है। धारा 4(1) में उपबन्ध प्रतिपादित-

(i) पर्यावरण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझे उस पदनाम की नियुक्ति कर सकती है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार जैसा ठीक समझे इन अधिकारियों को वैसी शक्तियाँ एवं कार्य सौंप सकती है।

(iii) केन्द्रीय सरकार नियुक्तियों से संबन्धित यह शक्ति धारा 3(3) के अंतर्गत प्राधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगी।

3. निदेश देने की शक्ति (धारा-5) :-

धारा 5 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति दी गई है :-

(i) केन्द्रीय सरकार को निदेश देने की शक्ति किसी अन्य विधि के असंगत होने से प्रभावित नहीं होगी परंतु पर्यावरण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन होगी

(ii) केन्द्रीय सरकार की शक्ति सीमा यह होगी कि यह अधिनियम के अधीन अपनी

Scanned with CamScanner

शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन केन्द्र सरकार द्वारा जारी होगी

(iii) केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति प्राधिकारी अथवा अधिकारी को निदेश दे सकती है।

(iv) केन्द्रीय सरकार का निदेश लिखित होना चाहिए।

(v) केन्द्रीय सरकार का निदेश जिन व्यक्तियों, अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों को जारी हुआ है, वे ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

(iv) केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति (धारा 6) :-

(1) केन्द्रीय सरकार धारा-3 में वर्णित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा

(क) विभिन्न क्षेत्रों प्रयोजनों के लिए वायु जल या मृदा की क्वालिटी के मानक

(ख) भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा;

(ग) परिसंकटमय पदार्थों के हथलाने के लिए प्रक्रिया

(घ) भिन्न क्षेत्रों में परिसंकटमय पदार्थों के हथलाने पर प्रतिषेध और निर्बन्धन;

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की अवस्थिति पर निर्बन्ध;

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की जिनसे पर्यावरणीय प्रदूषण कारित होना संभाव्य हो, रोकथाम के लिए प्रक्रिया तथा रक्षोपाय और ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए उपाय सुनिश्चित करना